(60)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 6(1)शिक्षा–1 / 2002

जयपुर, दिनांक 13.5.2010

निदेशक,
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान–बीकानेर।

FAX 262

विषय :– राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को सभी प्रकार के शुल्कों से मुक्त करने के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांकःशिविरा–माध्य / लेखा / डी–2 / 25445 / 08 दिनांक 5.5.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा–3 के परिपेक्ष्य में राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को समस्त प्रकार के शुल्कों से मुक्त रखने का राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया है।

अतः उक्त नीतिगत निर्णय की पालना में 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के समस्त प्रकार के शुल्क जिनमें छात्र निधि कोष एवं विद्यालय विकास कोष भी सम्मिलित है, को माफ करने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय के अनुमति से एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शुल्क वसूली के संबंध में पूर्व में जारी आदेश ही यथावत रहेगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू माना जाये।

भवदीय
13/5/10
उप शासन सचिव–प्रथम

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।।
क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/बी/3534/वी–2/09–10/ दिनांक–21/5/10
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–
1) उप शासन सचिव–प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर ।
2) समस्त उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ।
3) समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र की प्रति समस्त संस्था प्रधानों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें ।
4) शैक्षिक–सी प्रभाग कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली ।
5) शिविरा पत्रिका में प्रकाशन हेतु सात प्रति ।

संयुक्त निदेशक (प्राथमिक)
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

आरश्याम/